COURT FEE 10 RS भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE 5 RS भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

108

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R-1603-II/07

प्रकरण क्रमांक । २००७ पुनरीक्षण

श्री रामलखन शर्मा द्वारा आज दि० 19-10-07 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर

१) रामप्रकाश,) पुत्रगण स्व० श्री विश्वनाथ शर्मा,
२) भगवतीप्रसाद,)

निवासीगण ग्राम दबोहा, तहसील व जिला भिण्ड ---- आवेदकगण

बनाम

१) श्रीमती मायादेवी पत्नि देवीदयाल,

२) वीरेन्द्रबहादुर,)
३) उमाशंकर) पुत्रगण देवीदयाल,
४) विनोदकुमार)

बसरपरस्ती पिता देवीदयाल, जाति ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम दबोहा, तहसील व जिला भिण्ड — --- अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दि० २२-६-०७ पारित द्वारा डा० एम०गीता, न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण क्रमांक ६३।०५-०६ अपील ।

रामलखन शर्मा एड

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्नलिखित प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, ग्राम की रतुपुरा परगना व जिला भिण्ड की आराजी नं० १९ के गलत सीमांकन के आधार पर अनावेदकगण ने न्यायालय तहसील भिण्ड में दावा दायर किया जो प्र० क्र० २।८९-८७ अ-७० पर दि० २९-१२-९४ को खारिज कर दिया, क्योंकि आवेदकगण का

R-1603. 11/07 ([illegible])

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-6-16	आवेदक अभि. श्री कृष्ण सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक अभि. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से उनके पक्ष में निर्णय होने से आगे कोई अर्जी प्रस्तुत की गई और निवेदन किया गया कि इस प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अधीनस्थ की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। प्रकरण को और पक्ष में इसी स्तर पर समाप्त कर दिया जावे। आवेदक अभि. का निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण इसी स्तर पर और पक्ष में समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। [signature] अध्यक्ष	[signature] 20/6/16